

संचिका संख्या-09 / बि0वि0प0स0-22 / 2024

**बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।**

अधिसूचना

पटना, दिनांक

विषय : बिहार में निजी विद्यालयों के संबद्धता हेतु दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन।

अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन मुक्ति के पहल के चरण-II के अनुसरण में बिहार में निजी तौर पर प्रबंधित विद्यालयों के लिए नई संबद्धता जारी करने तथा संबद्धता के नवीनीकरण हेतु दिशानिर्देशों, जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) संबद्धता विनियमावली, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा अधिसूचित है, में आंशिक संशोधन तथा पूर्व में निर्गत बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-BSEB(SS)/Coll-Estab/688/D/2026 दिनांक 07.06.2026 को निरस्त करते हुए ऐतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

विद्यालय में विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ और अन्य आवश्यक सुविधाएँ होनी चाहिए। कक्षा के आकार या कमरों की सटीक संख्या के संबंध में कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित नहीं है, लेकिन उपलब्ध बुनियादी ढाँचा एक सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण-अधिगम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

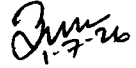
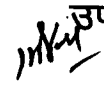
जिन मामलों में विद्यालय के पास खेल का मैदान, पुस्तकालय जैसी सुविधाएँ नहीं हैं, वहाँ वह संबंधित प्राधिकरण के साथ एक वैध समझौता ज्ञापन (एम0 ओ0 यू0) पर हस्ताक्षर करने के अधीन, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आस-पास के विद्यालयों या नगरपालिका या पंचायत के स्वामित्व वाली सुविधाओं का साझा आधार पर उपयोग कर सकता है।

इसके अतिरिक्त सभी विद्यालयों को भौतिक अवसंरचना के पूरक के रूप में डिजिटल पुस्तकालयों और अन्य प्रद्यौगिकी आधारित संशोधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से निर्गत की गई है तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

ह0/-
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव
शिक्षा विभाग
बिहार सरकार

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0-22/2024 985 पटना, दिनांक 01/07/2026
प्रतिलिपि : निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग
विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा
समिति, पटना/निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एवं
सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव।


File No. 09/B.S.E.B.-22/2024.....

Government of Bihar
Department of Education

NOTIFICATION

Patna, Date

Subject: Partial modification of guidelines for affiliation for Privately Managed Schools in Bihar.

In pursuance of the Compliance Reduction and Deregulation Phase-II initiative, and in partial modification of the guidelines for issuance of fresh affiliation and renewal of affiliation for Privately Managed Schools in Bihar, as notified Bihar School Examination Board (High Secondary) Affiliation Regulations, 2011 (as amended from time-to-time) and in supersession of the earlier Bihar Government Notification No. BSEB (SS)/CoII-Estab/688/D/2026 dated 07-06-2026, The following amendments are hereby made:

A school shall have classrooms, laboratories, and other essential facilities to comfortably accommodate students and staff. While no fixed norms regarding classroom size or exact number of rooms are prescribed, the available infrastructure must be sufficient to ensure a safe and conducive teaching-learning environment.

In cases where school does not possess facilities such as a playground, library, it may utilize the facilities of neighbouring schools or those owned by the Municipality or Panchayat available nearby for educational purposes on a shared basis, subject to execution of a valid Memorandum of Understanding (MoU) with the concerned authority.

Additionally, all schools are encouraged to promote the use of digital libraries and other technology-enabled learning resources to supplement physical infrastructure.

This Notification is issued with the approval of the competent authority and shall come into force with immediate effect.

Sd/-
(Ajay Satish Bhengra)
Deputy Secretary
Education Department
Govt. of Bihar.

Memo No.- 09/B.S.E.B.-22/2024-285--

Patna, dated. 01/07/2026

Copy forwarded to Director, Industry Department (Micro, Small and Medium Industry Directorate)/ Director, Secondary Education/ Secretary, Bihar School Examination Board, Patna/ Director (Academic), Bihar School Examination Board, Patna and P.S to Secretary, Education Department, Bihar, Patna for information and necessary action.


Deputy Secretary.